न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 122/2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मन्जू पुत्री नेमीचन्द।
2 मोनू पुत्री नेमीचन्द।
3 सावित्री पत्नी नेमीचन्द।
4 नन्दराम पुत्र मालाराम।
5 अमरचन्द पुत्र मालाराम।
6 सिणगारी पत्नी बनवारी।
7 विरेन्द्र पुत्र बनवारी।
8 संदीप पुत्र बनवारी।
9 मोन्टू पुत्री बनवारी।
10 किस्तुरी पत्नी ताराचन्द।
11 कमलेश पुत्र ताराचन्द।
12 मुकेश पुत्र ताराचन्द।
13 मनोज पुत्री ताराचन्द।
14 रामचन्द्र पुत्र लेखराम।
15 दयानन्द पुत्र हरसाराम।
16 माईधन पुत्र हरसाराम।
17 महेश कुमार पुत्र चुनाराम।
18 बीरबल पुत्र चुनाराम।
19 होशियार सिंह पुत्र चुनाराम।
20 मंगलचन्द पुत्र श्योचन्द जाति समस्त जाट, निवासीगण कड़वासरों की ढ़ाणी तन उदावास तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

बनाम

1 चन्द्रभान पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कड़वासरों की ढाणी तन उदावास तहसील व जिला झुंझुनू।

2 रामसिंह पुत्र हरदयाल सिंह।

3 इन्द्रसिंह पुत्र कुन्दन सिंह।

4 सावित्री पुत्री कुन्दन सिंह।

5 संगीता पुत्री नेमीचन्द।

6 रामसिंह पुत्र हरदयाल सिंह।

7 धर्मेन्द्र पुत्र हरदयाल सिंह।

8 कमला पत्नी हरदयाल सिंह।

9 पतासी पत्नी विधाधर।

10 मृतक विधाधर पुत्र..................

11 मोहर सिंह पुत्र विद्याधर सिंह।

12 सुरेश पुत्र विद्याधर।

13 सुरेन्द्र पुत्र विद्याधर।

14 सुनिल पुत्र विद्याधर।

15 बजरंग पुत्र मुखाराम।

16 मनीराम पुत्र ताराचन्द।

17 रोहिताश पुत्र ताराचन्द।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
सीकर (कैम्प झुंझुनू)

18 राधेश्याम पुत्र ताराचन्द।

19 सोनकी पत्नी ताराचन्द।

20 मोहनी पत्नी सतवीर।

21 आलोक पुत्र सतवीर।

22 पंकज पुत्री सतवीर।

23 नानू पुत्र ईश्वर।

24 राकेश पुत्र हेतराम।

25 घासीराम पुत्र हेतराम।

26 शीशराम पुत्र हेतराम।

27 बिमला स्त्री हेतराम।

28 गोरधन पुत्र रामकरण।

29 फुलचन्द पुत्र रामकरण।

30 बुटीराम पुत्र भगवाना।

31 मंगलचन्द पुत्र कुम्भाराम।

32 रामकुमार दतक पुत्र घोघड़।

33 धर्मपाल पुत्र अर्जुन।

34 मदन पुत्र अर्जुन।

35 भागीरथ पुत्र अर्जुन।

36 लिछमा पुत्री कुम्भाराम।

37 सुनिता पत्नी विकास।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

38 विजेन्द्र पुत्र महावीर।

39 छोटी पत्नी महावीर।

40 मनी देवी पत्नी माला।

41 राजेन्द्र पुत्र माला।

42 सुरेन्द्र पुत्र माला।

43 सुरेश पुत्र माला।

44 रामनिवास पुत्र माला।

45 संजू पुत्री माला।

46 सरस्वती पत्नी लेखराम।

47 राजेन्द्र पुत्र लेखराम।

48 जुगलाल पुत्र लेखराम।

49 कमला पुत्री तोरूराम।

50 सरोज पुत्री तोरूराम।

51 सुरेश पुत्र कुरड़ाराम।

52 शीशराम पुत्र कुरड़ाराम।

53 अनिल पुत्र कुरड़ाराम।

54 जानकी पत्नी कुरड़ाराम।

55 सुनिल पुत्र रामलाल।

56 अनिल पुत्र रामलाल।

57 सावित्री पत्नी रामलाल।

प्रकरण अधिकारी एवं
पदेन [illegible] अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

58 बनवारी पुत्र चुनाराम।

59 भागीरथ पुत्र चुनाराम।

60 रामजीलाल पुत्र चुनाराम।

61 सुगनी पत्नी छोटु।

62 दीपचन्द पुत्र छोटु।

63 रोहिताश पुत्र छोटु।

64 सुनिता पत्नी शिशराम जाति समस्त जाट निवासीगण कड़वासरों की ढ़ाणी तन उदावास तहसील व जिला झुंझुनू।

65 विजेन्द्र आयु 10 वर्ष पुत्र शीशराम।

66 बबीता आयु 13 वर्ष पुत्री शीशराम जाति समस्त जाट निवासीगण कड़वासरों की ढ़ाणी तन उदावास तहसील व जिला झुंझुनू जरिये माता सुनिता पत्नी शीशराम जाति जाट निवासी कड़वासरों की ढ़ाणी तन उदावास तहसील व जिला झुंझुनू।

67 झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

68 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बी.सी. झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

69 ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

70 इलाहाबाद बैंक शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

71 सुभाषचन्द्र पुत्र भगवानाराम।

72 भादर सिंह पुत्र भगवानाराम।

73 बिमला पुत्री भगवानाराम।

74 विनोद पुत्री भगवानाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

75 चावली देवी पत्नी भगवानाराम जाति समस्त जाट, निवासीगण कड़वासरों की ढ़ाणी तन उदावास तहसील व जिला झुंझुनू।

76 तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू मुकदमा उनवानी चन्द्रभान बनाम रामसिंह वगै.
प्रार्थना पत्र अ.धा. 251ए आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं.
106/16 आदेश दिनांक 21.11.2016

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश शयोरान अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–10.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 106/2016 अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 21.11.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट के विरूद्व विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 648 रकबा 1.75 हैक्टेयर वाके ग्राम उदावास प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 90 से 95 के सहखातेदारी की भूमि है। भूमि खसरा नम्बर 599,601,602,604,788,649,650,654 व 655 के खातेदार शेष अप्रार्थीगण है प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 648 में आने जाने तथा ट्रेक्टर व पशुधन तथा अन्य वाहन लाने ले जाने के लिए प्रर्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्ज बिन्दु संख्या A से B से जगह से रास्ते से अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी ने अपने खेत में रिहायशी मकान बना रखे है। अत उक्त अनुसार 12 फिट चौडाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा शीट में तरमीम किया जाकर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ,9,10,11,13 से 15 व 16,19,22 से 24,27,28 से 31,45 से 47 व 49 से 50 32,43,44,52 व 55,58,61,65 से 67 ,69 से 75,79 से 82,91,94 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र की धारा 8 क ख के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांछित रास्ता दिये जाने में कोई एतराज नही होना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 48,53,54,56,57,64,85 बावजुद तामील नोटिस न्यायालय में उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार झुंझुनू से विवादित रास्ते बाबत मौका रिर्पोट मगवाई गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार विचारण न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय से 12 फिट चौड़ाई का रास्ता कायम करने का आदेश दिया है। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 5,6,7,17,18,34,35,36,37,38 39,40,41,60,68,69,76,77,78,85 की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट एवं वकील रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

कि विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की है अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नही दिया गया विचारण न्यायालय ने सी.पी.सी. एवं राजस्थान रेवन्यु कोर्ट मैन्यूअल 1956 भाग द्वितीय के प्रावधानों की पालना नही कर अवैधानिकता व अनियमिमता की है। विचारण न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने की दिनांक से 13.10.2016 तक पीठासीन अधिकारी उपस्थित नही थे। तमाम पेशीयां रीडर द्वारा नियत की गई। विचारण न्यायालय में आर्डरशीट में तारीख में कांटछांट कर मनमर्जी से अपीलांटस को गैर हाजिर कर फर्जी तरिके से नियमों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान टीनेन्सी (गर्वमेन्ट) रूल्स 1955 के नियम 68,69,70 (2) की पालना नही की है। विचारण न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट पर निर्णय पारित किया है ऐतराज नही सुने है पटवारी की रिपोर्ट साक्ष्य में स्वीकार नही है। अपीलांटस संख्या 16 द्वारा विचारण न्यायालय में न तो वकालत नामा प्रस्तुत किया गया न ही ईकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है विचाराधीन निर्णय स्पीकिंग नही है। रेस्पोडेंट के पास मौके पर वैकल्पिक रास्ता कम दूरी का मौजुद है विचारण न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार से जांच का आदेश आर्डरशीट पर नही है। विचारण न्यायालय में अपीलांटस की तामील पर्याप्त नही हुई है तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट सहशपथ नही है रेस्पोडेंट संख्या 65,66 नाबालिग है वलि अदालती नियुक्त किये बिना नाबालिग के हितो के विरूद्व पारित विचाराधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2016 पेज 556 आर.आर.डी 1984 पेज 111 आर.बी.जे 2007 पेज 141 आर.आर.टी. 2003(1) पेज 18 एंव आर.आर.डी 1987 पेज 456 के न्यायिक दृष्टांत एवं नक्ल दैनिक कॉज लिस्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दिनांक 17.10.2016, तरल दैनिक कॉज लिस्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू 19.10.2016 , तरल दैनिक काज लिस्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू 27.10.2016, नक्ल दैनिक काज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

लिस्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू 07.11.2016, नकल दैनिक काज लिस्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू 17.11.2016, तरल दैनिक काज लिस्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू 21.11.2016 वरवक्त बहस पेश की।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 2,3,4,9, 10,11,13,14,15,16,19,22,23,24,27,28,29,30,31,45,46,47,49,50,51,32,33,43 ,44,52,55,58,61,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,90,91,94 की और से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रर्थना पत्र को स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तहसीलदार झुंझुनू ने अपने पत्र कमांक राजस्व/16/2976 दिनांक 24.10.2016 से भिजवाई है। जो विधि सम्मत है विचारण न्यायालय ने अपीलांटस के बावजुद तामिल उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही की है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यवाही की जाती है विचारण न्यायालय ने अपीलांटस ने इकतरफा कार्यवाही निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नही की है अपीलांट ने वैकल्पिक रास्ता होना कथन किया है किन्तु यह कहा है इसे जाहिर नही किया है। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार तामील करवाई गई है जहा तक रेस्पोडेंट संख्या 65 व 66 के नाबालिग होने का कथन किया गया है इनके द्वारा एवं कुदरती वली द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का समर्थन किया गया है ऐतराज नही किया गया है इस संबंध में इनके शपथ पत्र वर वक्ष बहस प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलांट खारिज की जाये। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.सी. 1998 पेज 22 आर.आर. डब्ल्यू 2007 (2) पेज 1196 आर. आर. टी. 2011(2) पेज 1344 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर मनन कर ससम्मान अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में अपीलांट संख्या 1 मन्जु 2 मोनु 3 सावित्री 6 सिणगारी 7 विरेन्द्र 8 संदीप 9 मोन्टु 14 रामचन्द्र की तामील उन पर स्वंय पर हुई है तामील नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तामील नोटिस की पुस्त पर उक्त अपीलांट के हस्ताक्षर है शेष अपीलांट संख्या 4 नन्दराम 5 अमरचन्द 10 किस्तुरी 11 कमलेश 12 मुकेश 13 मनोज 15 दयानन्द 17 महेश 18 बिरबल 19 होशियार के नोटिस चस्पांदगी से तामील होकर प्राप्त हुये है जिनकी पुस्त पर तामील लेने से इन्कार करने पर चस्पांदगी से तामिल करवाई गई है। इनकी पुस्त पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है विचारण न्यायालय के समक्ष बाद तामील अपीलांट न तो स्वंय हाजिर हुये है न ही उनकी और से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये है अपीलांटस की और से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर तामिल/ इक्तरफा निर्णय के विरूद्व कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है। अपितु सीधे ही यह अपील प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.सी. 1998 पेज 22 एवं आर.एल. डब्ल्यू 2007(2) आर.जे पेज 1196 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विचारण न्यायालय में तामीली प्रकिया को चुनौती देकर ही पक्षकार अपील में तामील का बिन्दु उठा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाट की और से विचारण न्यायालय में तामीली कार्यवाही को कोई चुनौती नही दी गई है। अत अब अपील के स्तर पर इस पर विचार नही किया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अप्रार्थीगण विजेन्द्र एवं बबीता के नाबालिग होने का बिन्दु उठाया है प्रथम तो विजेन्द्र एवं बबीता की और से अपील प्रस्तुत नही की गई है। द्वितीय, अपील में सुनिता स्त्री शीशराम जाति जाट निवासी कड़वासरों की ढ़ाणी तन उदावास तहसील व जिला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

झुंझुनू ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वह विजेन्द्र एवं बबीता की माता है एवं कुदरती वली है खसरा नम्बर 654 की वह सखातेदार है विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णित रास्ते के अलावा हमारे खेत में आने जाने का कोई अन्य रास्ता नही है। वह भी उक्त रास्ता चाहती है इसके रिबटल में अपीलांट की और से कोई कथन नही किया गया है। इस शपथ पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में नाबालिग विजेन्द्र एवं बबीता के हितो के विरूद्व कोई निर्णय पारित नही किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त प्रकिया (Summary procedure) अपनाई जाती है इसकी पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2011 (2) पेज 1344 से होती है। अपीलांट द्वारा न तो विचारण न्यायालय में बाद तामील उपस्थिति हुई है, न ही विचारण न्यायालय में तामीली कार्यवाही को चुनौती दी गई है। विचारण न्यायालय ने आवेदन धारा 251ए पेश होने पर विधि अनुसार तामीली कार्यवाही कर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। तहसीलदार रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 1 पर स्पष्ट अंकित है कि प्रस्तावित रास्ता मौके व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 599 से 648 तक जाने वाला निकटतम रास्ता है इसके विपरीत अपीलांट ने अपील में अन्य किसी निकटतम रास्ते का विवरण नही दिया है जिससे यह माना जा सकें कि विचाराधीन निर्णय में पारित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम रास्ता मौके पर उपलब्ध है चूकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त प्रकिया (Summary procedure) अपनाई जाती है विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधि त्रुटि नही पाई जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर